संख्या-16/2024/1271-22-4-2023-1778806

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक 22 फरवरी, 2024

विषय:- वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रदेश की 05 उच्च सुरक्षा कारागारों में वैकल्पिक ऊर्जा रूफटॉप सोलर पैनल की व्यवस्था हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-36869/आधु-1/सोलर-प्लांट/वौल्यू-3/22-23, दिनांक 27-12-2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष-2023-24 में प्रदेश की 05 उच्च सुरक्षा कारागारों यथा- जिला कारागार, लखनऊ, आजमगढ़, चित्रकूट, बरेली (वर्तमान केन्द्रीय कारागार बरेली द्वितीय) तथा गौतमबुद्धनगर में वैकल्पिक ऊर्जा रूफटॉप सोलर पैनल की व्यवस्था हेतु **रू0-8,36,52,923/- (रूपया आठ करोड़ छत्तीस लाख बावन हजार नौ सौ तेईस मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं।

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) महानिरीक्षक कारागार द्वारा उपकरण/सेवाओं का क्रय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 23.08.2017 में दी गई व्यवस्था के माध्यम से समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करके नियमानुसार किया जायेगा।

(2) कारागार मुख्यालय द्वारा उपकरणों के क्रय हेतु निर्धारित की जाने वाली विशिष्टियों पर शासन से अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। तदोपरान्त ही क्रय संबंधी अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

(3) धनराशि आहरित करने से पूर्व महानिरीक्षक कारागार द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि उक्त उपकरणों के क्रय हेतु पूर्व में धनराशि स्वीकृत नही की गयी है। स्वीकृत धनराशि का आहरण तभी किया जायेगा जब उपकरणों आदि की निर्धारित क्रय प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी हो।

(4) महानिरीक्षक कारागार कार्यात्मक आवश्यकता के दृष्टिगत प्रस्तावित उपकरणों के मेक/माडल/स्पेसिफिकेशन एवं संख्या के संबंध में विभागीय व्यवस्थाओं के अन्तर्गत संतुष्ट हो लेंगे।

(5) महानिरीक्षक कारागार क्रय किये जाने वाले उपकरणों की गुणवत्ता एवं उपयोगिता के संबंध में पूर्णतः संतुष्ट हो लेंगे।

(6) उपकरणों का क्रय स्वीकृत धनराशि की सीमा में किया जायेगा तथा किसी प्रकार का विचलन नही किया जायेगा।

(7) महानिरीक्षक कारागार द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 17.03.2023 में दी गयी व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(8) स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31 मार्च, 2024 तक सुनिश्चित कर लिया जाय।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 8,36,52,923 (रुपये आठ करोड़ छत्तीस लाख बावन हजार नौ सौ तेईस मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 025 **लेखा शीर्षक** 4070008002200 कारागारों में सोलर एनर्जी बेस्ड पावर प्लांट, हाईमास्ट तथा स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था **मानक मद** 26 मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-12-453-X-2023-24-दिनांक:20-2-2024, में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-16/2024/-1271-22-4-2023-1778806, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट), उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, प्रयागराज।
(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण, लखनऊ (यूपीनेडा)।
(6)निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार विभाग, उ0प्र0।
(7) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय लखनऊ।
(8) वित्त (व्य्य नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2।
(9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।